प्रेस नोट थाना पीपीगंज दिनांक 04.10.2020

थाना क्षेत्र पीपीगंज में दिनांक 01.10.2020 को ग्राम सभा गायघाट के समीप रोहिन नदी बंधे के पास हत्या कर बक्से मे छिपायी गयी अज्ञात महिला की लाश के संबंध मे थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 872/2020 धारा 302,201,34 भादवि के अनावरण सहित 02 नफर शातिर अभियुक्त गिरफ्तार–

थाना क्षेत्र पीपीगंज गोरखपुर के ग्राम सभा गायघाट के समीप रोहिन नदी के बंधे के किनारे दिनांक 01.10.2020 को अज्ञात महिला की हत्या कर बक्से मे बरामद लाश के मामले मे थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 872/2020 धारा 302,201 भादवि विरुद्ध अज्ञात प्रकरण मे शीघ्र अति शीघ्र अनावरण हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गोरखपुर के कुशल निर्देशन श्री अरविन्द कुमार पाण्डेय पुलिस अधीक्षक उत्तरी एवं श्री राहुल भाटी अपर पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष पीपीगंज श्री राजेन्द्र मिश्र मय उ0नि0 विनय कुमार सिंह, नमराह हे0का0 इकराम खां व का0 उपेन्द्र यादव के मुखबीर खास की सूचना पर थानाक्षेत्र शाहपुर मुहल्ला गंगानगर स्थित मकान से 02 नफर अभियुक्त 1. विनय कुमार वर्मा पुत्र स्व0 रामबृक्ष वर्मा निवासी मोहल्ला गंगा नगर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर उम्र करीब 34 2. शाहिल भारती पुत्र गोपाल भारती निवासी रामजानकीनगर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर उम्र करीब 20 वर्ष को हिरासत में लिया गया तथा इनके निशानदेही पर हत्या कर लाश छिपाने में प्रयुक्त 01 अदद मोटरसाईकिल व 03 अदद मोबाईल फोन बरामद करते हुए मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में लाया गया चूंकि घटना में मुख्य अभियुक्त विनय कुमार वर्मा उपरोक्त का सहयोग अन्य अभियुक्त साहिल भारती उपरोक्त द्वारा सहयोग किया गया है जो अर्न्तगत धारा 34 भादवि के अपराध की परिधि में आता है अतः मुकदमा उपरोक्त में जुर्म धारा 34 भादवि की बढ़ोतरी किया गया। मुकदमा बाला की अग्रिम विवेचना अर्न्तगत धारा 302,201,34 भादवि में प्रचलित है। गिरफ्तारी/बरामदगी का विवरण निम्नवत है।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्त का नाम पता–

1– विनय कुमार वर्मा पुत्र स्व0 रामबृक्ष वर्मा निवासी मोहल्ला गंगा नगर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर उम्र करीब 34
2. शाहिल भारती पुत्र गोपाल भारती निवासी रामजानकीनगर थाना चिलुआताल जनपद गोरखपुर उम्र करीब 20 वर्ष

गिरफ्तारी का स्थान दिनांक व समय

मोहल्ला गंगानगर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर दिनांक –04.10.2020 समय 07.10 बजे

बरामदगी

01 अदद मोटरसाईकिल व 03 अदद मोबाइल फोन

हत्या का कारण–

पत्नी पर चारित्रिक संदेह से उत्पन्न आपसी अन्तर्कलह एवं घरेलू विवाद

अनावरित अभियोग अभियोग

मु0अ0सं0 872/20 धारा 302,201,34 भादवि थाना पीपीगंज

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

1– राजेन्द्र मिश्र थानाध्यक्ष पीपीगंज जनपद गोरखपुर
2– उ0नि0 विनय कुमार सिंह थाना पीपीगंज गोरखपुर
3– हे0का0 इकराम खां थाना पीपीगंज गोरखपुर
4– का0 उपेन्द्र यादव थाना पीपीगंज गोरखपुर